

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर, जिला-बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या -168/2024

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भीमाराम पुत्र गंगाराम
जाति भील निवासी रामसर
आगोर तहसील रामसर जिला बाडमेर।

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0राज0अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती करवाने बाबत।

उपस्थित :-

1. प्रार्थीगण रंचय

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 11.12.2024

.....

संक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री भीमाराम पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी रामसर आगोर तहसील रामसर जिला बाडमेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2024 को इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के पत्रांक प.12 (3) (92)/2007/2852-858 दिनांक 22.05.2009 द्वारा ग्राम रामसर के खसरा नंबर 373/204 रकबा 107.15 बीघा किस्म भूमि गैरमुमकिन गौचर में से रकबा 05 बीघा भूमि गैर मुमकिन छात्रावास हेतु भील विकास समिति बाडमेर शाखा रामसर छात्रावास हेतु आवंटन की गई थी जिसका ग्राम रामसर के नामान्तरणकरण संख्या 469 दिनांक 25.10.2009 को दर्ज होकर दिनांक 30.10.2009 को स्वीकृत हुआ उसके बाद रामसर के नामान्तरणकरण संख्या 530 दिनांक 22.01.2013 के द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नंबर 503/204 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन मैदान तहसीलदार रामसर के आदेश क्रमांक 02-03 दिनांक 22.01.2013 के द्वारा जरिये नामान्तरणकरण राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हुआ। नामान्तरणकरण संख्या 530 के पृष्ठ भाग पर अंकित आवंटन की तरमीम एवं सेग्रीगेशन के समय भिन्न तरमीम हुई जिसकी तरमीम सही नहीं होने के कारण तरमीम दुरस्ती के लिये इस न्यायालय को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम दुरस्त के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 15.10.2024 को दर्ज रजिस्टर कर इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2024/3414 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 168/2024 अन्तर्गत धारा 136 बअनवान भीमाराम बनाम तहसीलदार रामसर में मौका रिपोर्ट के लिये लिखा गया तहसीलदार रामसर के पत्रांक क्रमांक /कोर्ट/मौका रिपोर्ट/2025/3038 दिनांक 24.12.2025 का दिनांक 11.02.2026 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

विप्रार्थीगण तहसीलदार रामसर की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मौजा रामसर पटवार मण्डल रामसर के खसरा संख्या 474/204 रकबा 0.7770 हेक्टेयर, किस्म भूमि गैरमुमकिन छात्रावास, एवं खसरा नंबर 503/204 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि किस्म गैरमुमकिन मैदान को आवंटित है जिसमें श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाडमेर द्वारा आवंटित की गई है। आवंटन पश्चात नामान्तरण के पृष्ठ भाग पर तरमीम अंकित की गई लेकिन सेग्रीगेशन के समय राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शा शीट में तरमीम भिन्न हुई जिससे मौका एवं कब्जे में भिन्नता है।

अतः तहसीलदार रामसर से प्राप्त अनुशंषा रिपोर्ट तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में सलग्न दस्तावेजों पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, सलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से होती है तहसीलदार रामसर द्वारा सलग्न नक्शे में शुद्धी किये जाने की अनुशंषा करने पर लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने में इस न्यायालय को कोई आपत्ति जाहिर नहीं होती है।




11/12/2024

उपखण्ड अधिकारी, रामसर



अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारीज करते हुये नामान्तरणकरण संख्या 530 दिनांक 22.01.2013 के पृष्ठ भागपर अंकित तरमीम अनुसार रेकॉर्ड में (नक्शा) में ग्राम मौजा रामसर पटवार मण्डल रामसर के खसरा संख्या 474/204 रकबा 0.7770 हेक्टेयर, किस्म भूमि गैरमुमकिन छात्रावास, एवं खसरा नंबर 503/204 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि किस्म गैरमुमकिन मैदान राजस्व रेकॉर्ड में पूर्व की तरमीम को निरस्त करते हुये नामान्तरणकरण संख्या 530 दिनांक 22.01.2013 के पृष्ठ भागपर अंकित तरमीम अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फौसल सुमार होकर नंबर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।




(राम लाल मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक :- 11/2/2026

क्रमांक : कोर्ट / 2026 / 94-95

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड (नक्शा शीट) में तरमीम दुरस्ती कर पालना पेश करें।
2. प्रार्थीगण भीमाराम पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी रामसर आगौर तहसील रामसर को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर